न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –893 / 2022

अनवान : –

1. कमला देवी पत्नी सन्तलाल जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. सुशीला देवी पत्नी महेशचन्द्र जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम

1. ऋषिराज पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राहमण निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
3. बालचन्द्र पुत्र नोरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
4. भंवरलाल पुत्र पुरखाराम जाति ब्राहमण निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
5. भालाराम पुत्र रावताराम जाति ब्राहमण निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
6. मंगतुराम पुत्र मोमनराम जाति सुथार निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
7. मनोज कुमार पुत्र गोरीशंकर जाति ब्राहमण निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
8. लादुराम पुत्र भागीरथ जाति नाई निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
9. शीशपाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
2. श्री मांगेराम बैनीवाल अधिवक्ता **प्रतिवादी**
3. पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 6/12/2023

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता संख्या 111 / 26 के ख0न0 37 की 8.8420 हैक्ट, ख0न0 41 की 1.0630 हैक्ट कुल 9.9050 हैक्ट भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता संख्या 111 / 26 के ख0न0 37 की 8.8420 हैक्ट, ख0न0 41 की 1.0630 हैक्ट कुल 9.9050 हैक्ट भूमि में से वादी स0 1 अकेली 1369 / 3963 हिस्सा, वादी स0 2 अकेली 17043 / 49525 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 अकेला 38 / 9905 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 अकेला 2808 / 49525, प्रतिवादी स0 5 अकेला 152 / 9905 हिस्सा, प्रतिवादी स0 6 अकेला 2808 / 49525 हिस्सा, प्रतिवादी स0 7 अकेला 379 / 99050 हिस्सा, प्रतिवादी स0 8 अकेला 2808 / 49525 हिस्सा, प्रतिवादी स0 9 अकेला 2808 / 49525 हिस्सा भूमि मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:18:58 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता मुश्तरका है। वादी व प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि में अपने हक हक व हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाऊ बना रखा है। मुश्तरका खाता होने के कारण हमेशा सींव व लगान संबंधित विवाद रहता है इसलिए वादी मुताबिक अच्छी माड़ी भूमि के हिसाब से रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता संख्या 111 / 26 के ख0न0 37 की 8.8420 हैक्ट,

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ख0न0 41 की 1.0630 हैक्ट कुल 9.9050 हैक्ट का मुताबिक कब्जा काश्त व हक हिस्सा खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी को काफी मर्तबा कहा कि विवादित भूमि का खाता व लगान अच्छी व मंदी के हिसाब से अलग करवा लेवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस सम्यक रूप से तामील होने के उपरान्त भी प्रतिवादी स0 1, 3, 7 स्वयं उपस्थित नही और न ही उनकी ओर से कोई प्लीडर उपस्थित अतः प्रतिवादी संख्या 1, 3, 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ता 6 एवं 8 ता 9 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी स0 10 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी के वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की वादीगण मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के उक्त वाद भूमि का खाता प्रतिवादीगण से अलग करवाना चाहता है। अधिवक्ता प्रतिवादी ने भी वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने भी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता संख्या 111/26 के ख0न0 37 की 8.8420 हैक्ट, ख0न0 41 की 1.0630 हैक्ट कुल 9.9050 हैक्ट भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण ने अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार उक्त भूमि का अन्य सहखातेदारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नोहर अन्तिम डिक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

– वादीया संख्या 1 कमला देवी पत्नी सन्तलाल 34225/68311 हिस्सा, वादीया संख्या 2 सुशीला देवी पत्नी महेश चन्द्र 34086/68311 हिस्सा कौम अग्रवाल साकिन नोहर खातेदार रहन कमला देवी हि0 कैनरा बैंक शाखा नोहर मूर्त खसरा न0 41/1.063 हैक्ट, 37/5.7681 हैक्ट कुल किता–2 रकबा कुल 6.8311 हैक्ट बारानी प्रथम

– प्रतिवादी स0 1 ऋषिराज पुत्र गोरीशंकर 380/30739 हिस्सा कौम ब्राहमण, प्रतिवादी संख्या 2 देवीलाल पुत्र भादरराम 5616/30739 हिस्सा कौम जाट, प्रतिवादी संख्या 3 बालचन्द्र पुत्र नोरंगलाल 380/30739 हिस्सा कौम ब्राहमण, प्रतिवादी स0 4 भंवरलाल पुत्र पुरखाराम 5616/30739 हिस्सा कौम ब्राहमण, प्रतिवादी स0 5 भालाराम पुत्र रावताराम 1520/30739 हिस्सा कौम ब्राहमण, प्रतिवादी [illegible] 5616/30739 हिस्सा कौम सुथार, प्रतिवादी स0 7 मनोज कुमार पुत्र गोरीशंकर [illegible] हिस्सा कौम ब्राहमण, प्रतिवादी संख्या 8 लादुराम पुत्र भागीरथ 5616/30739 हिस्सा [illegible] नाई, प्रतिवादी संख्या 9 शीशपाल पुत्र रामेश्वरलाल 5616/30739 हिस्सा कौम जाट [illegible] श्योराणी खातेदार खसरा न0 37/3.0739 किता 1 रकबा 3.0739 हैक्ट बारानी प्रथम

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:18:58 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:18:58 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –893/2022
अनवान : –

1. कमला देवी पत्नी सन्तलाल जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. सुशीला देवी पत्नी महेशचन्द्र जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम

1. ऋषिराज पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राहमण निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
3. बालचन्द्र पुत्र नोरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
4. भंवरलाल पुत्र पुरखाराम जाति ब्राहमण निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
5. भालाराम पुत्र रावताराम जाति ब्राहमण निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
6. मंगतुराम पुत्र मोमनराम जाति सुथार निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
7. मनोज कुमार पुत्र गोरीशंकर जाति ब्राहमण निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
8. लादुराम पुत्र भागीरथ जाति नाई निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
9. शीशपाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 893 सन 2022 निर्णय दिनांक 6/12/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं वकील प्रतिवादी श्री मांगेराम बैनीवाल एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता संख्या 111/26 के ख0न0 37 की 8.8420 हैक्ट, ख0न0 41 की 1.0630 हैक्ट कुल 9.9050 हैक्ट भूमि पक्षकारान के मुश्तरका राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

– वादीया संख्या 1 कमला देवी पत्नी सन्तलाल 34225/68311 हिस्सा, वादीया संख्या 2 सुशीला देवी पत्नी महेश चन्द्र 34086/68311 हिस्सा कौम अग्रवाल साकिन नोहर खातेदार रहन कमला देवी हि0 कैनरा बैंक शाखा नोहर मूर्त खसरा न0 41/1.063 हैक्ट, 37/5.7681 हैक्ट कुल किता–2 रकबा कुल 6.8311 हैक्ट बारानी प्रथम

– प्रतिवादी स0 1 ऋषिराज पुत्र गौरीशंकर 380/30739 हिस्सा कौम ब्राहमण, प्रतिवादी संख्या 2 देवीलाल पुत्र भादरराम 5616/30739 हिस्सा कौम जाट, प्रतिवादी संख्या 3 बालचन्द्र पुत्र नोरंगलाल 380/30739 हिस्सा कौम ब्राहमण, प्रतिवादी स0 4 भंवरलाल पुत्र पुरखाराम 5616/30739 हिस्सा कौम ब्राहमण, प्रतिवादी स0 5 भालाराम पुत्र रावताराम 1520/30739 हिस्सा कौम ब्राहमण, प्रतिवादी स0 6 मंगतुराम पुत्र मोमनराम 5616/30739 हिस्सा कौम सुथार, प्रतिवादी स0 7 मनोज कुमार पुत्र गोरीशंकर 379/30739 हिस्सा कौम ब्राहमण, प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:18:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

8 लादुराम पुत्र भागीरथ 5616/30739 हिस्सा कौम नाई, प्रतिवादी संख्या 9 शीशपाल पुत्र रामेश्वरलाल 5616/30739 हिस्सा कौम जाट सा0 श्योराणी खातेदार खसरा न0 37/3.0739 किता 1 रकबा 3.0739 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 6/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:18:58 IST
Reason: SelfAttested